

पत्रांक-3ए-3-भत्ता (या०भ०)-01/2010- \_\_\_\_\_/वि०

बिहार सरकार  
वित्त विभाग।

प्रेषक,

राहुल सिंह,  
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
बिहार।

पटना, दिनांक- \_\_\_\_\_/2018

विषय :- राज्य सरकार के अधीन पदास्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को एल०टी०सी० के अधीन वायुयान से यात्रा करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्रांक-6755, दिनांक-26/08/2016 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदास्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा, (एल०टी०सी०) नियमावली, 1975 के प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग-A के पदाधिकारियों के समान एल०टी०सी० के अधीन इकॉनोमी श्रेणी से वायुयान यात्रा के अनुमान्यता प्रदान की गई है।

2. राज्य कर्मियों को यात्रा भत्ता/एल०टी०सी० के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दिनांक-11/10/2017 के प्रभाव से दी गई है।

3. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक संख्या-31011/8/2017-Estt.A-IV, दिनांक-19/09/2017 के द्वारा वेतन स्तर-14 एवं उससे ऊपर के केन्द्रीय पदाधिकारियों के लिए एल०टी०सी० के अधीन बिजनेस/क्लब श्रेणी से वायुयान यात्रा के अनुमान्यता प्रदान की गई है।

4. अतः अखिल भारतीय सेवा, (एल०टी०सी०) नियमावली, 1975 के प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए यह निर्णय संसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन पदास्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों, जिनका पुनरीक्षित वेतन स्तर-14 एवं उससे ऊपर है, को एल०टी०सी० के अधीन बिजनेस/क्लब श्रेणी से वायुयान यात्रा अनुमान्य होगी। इस हद तक वित्त विभागीय पत्रांक-6755, दिनांक-26/08/2016 को संशोधित समझा जाए तथा उक्त पत्रांक के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

5. उक्त प्रावधान दिनांक-11/10/2017 से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता (या०भ०)-01/2010 - \_\_\_\_\_/वि० पटना, दिनांक-\_\_\_/\_\_\_/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता (या०भ०)-01/2010 - \_\_\_\_\_/वि० पटना, दिनांक-\_\_\_/\_\_\_/2018

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता (या०भ०)-01/2010 - 2534/वि० पटना, दिनांक-28/3/2018

प्रतिलिपि- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।